उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 1025 /सेक-2-पांच-18-5(8)/2018

लखनऊ :: दिनांक 23 अप्रैल ~~मार्च~~, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री राजन मवार, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2017 के माध्यम से वर्ष 2017-18 में निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा सरकार की नीतियों के विपरीत लिपिकों के स्थानान्तरण में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें संज्ञान में लायी गयीं। निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-निदे0 (प्रशा0)/कैम्प/2017/4562, दिनांक 08.09.2017 के माध्यम से डा0(मेजर)वी0के0 सिन्हा, संयुक्त निदेशक(मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विरुद्ध तत्कालीन निदेशक(प्रशासन) के समक्ष अपूर्ण एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये जाने, अनुशासनिक कार्यवाही, पी0-2(सेवा विवरण) आदि का विवरण नहीं दिये जाने आदि तथ्य संज्ञान में लाये गये।

2- निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संज्ञान में लाये गये उक्त प्रतिकूल तथ्यों के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से डा0(मेजर)विनय कृष्ण सिन्हा (वरि0क्र0-8487 यथासंशोधित वरिष्ठता क्रमांक-5775क-1), संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सिन्हा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-1025 (1)सेक-2-पांच-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव संपदा साफ्टवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट।
7. कोषाधिकारी, लखनऊ/चित्रकूट।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. संबंधित चिकित्साधिकारी।
10. चिकित्सा अनुभाग-4।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0 लाल)
संयुक्त सचिव।